

| तारीख<br>हुकम     | हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व<br>अहकाम जो<br>तामीर में |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 16 $\frac{5}{18}$ | <p>पत्रावली आज पेश हुई। उपाय पक्ष उपस्थित।<br/>रिपोर्ट भू अणु नि. जी श्याम कसोरिया<br/>द्वारा पेश की गयी। जिसके अनुसार<br/>ग्राम मुम्हारिया के खसत 1460, 1462<br/>कुल बिता 2 रकम 0.06 हेक्टर पर से<br/>प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा किया गया।<br/>अतिप्रमाण हटा लिया गया है परन्तु<br/>प्रतिवादी स. 3 का जोवर व रेल डाल<br/>कर बिया गया कुल 24.4 हेक्टर है।<br/>वादी के वकील ने पुनः सीमांकन<br/>अनुसार प्रतिवादी स. 3 का कब्जा<br/>हटाने हेतु कृषि विभाग व राजस्व दल<br/>को भी जने मा निवेदन किया गया।<br/>कब्जा हटाने हेतु परीक्षण दावा<br/>प्रस्तारित परमाव। श्यामजी पुत्र<br/>छीतरदास द्वारा कस र खने हेतु<br/>कोई दलील, जबाब पेश नहीं किया।<br/>पत्रावली आगामी तारीख 23-5-18<br/>को पेश हो।</p> |                                  |
| 23 $\frac{5}{18}$ | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वादी उपप।<br/>प्रतिवादी अनुप। पत्रावली उल्लेखनी पूर्व<br/>आदेशानुसार आगामी तारीख पेश 6-6-18<br/>को पेश हो।</p>  |                                  |
| 6-6-18            | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपप।<br/>प्रतिवादी पान एंक्ट उपस्थित पत्रावली<br/>C.M के अति की पत्रावली पेश है पत्रावली<br/>आगामी दि. 4-7-18 को पेश हो।</p>   |                                  |
| 4-7-18            | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपप।<br/>प्रतिवादी पान एंक्ट उपस्थित पत्रावली पूर्व<br/>आदेशानुसार आगामी तारीख पेश<br/>11-7-18 को पेश हो।</p>  |                                  |
| 11-7-18           | <p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी एवं<br/>वादी स्वयं उपस्थित। वादी अनुसार<br/>मौके पर से प्रतिवादी गण द्वारा अतिप्रमाण</p>  |                                  |

|             |                                    |  |
|-------------|------------------------------------|--|
| दिख<br>क्रम | हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस हुकम की<br>तामीर में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|--|

हटा लिया गया है। अतः वो वाद चलाना  
 नहीं चाहती।  
 वादी के निवेदन अनुसार परसे  
 परसे अनिश्चय हटा लिए जाने  
 कारण वो वाद चलाना नहीं चाहता है।  
 अतः वादी के चाहे अनुसार पत्रावली  
 निष्कारिता की जाती है।  
 पत्रावली के संलक्षण से  
 दर्जन से कम हो।

रामदास